

जयपुर, दिनांक 6 MAY 2014

आदेश

श्री महेन्द्र शर्मा, सहायक अनुभागाधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर जिनकी तृतीय श्रेणी की वरियता संख्या 192/2013 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 30.4.2018 है के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुये "आउट ऑफ टर्न" के आधार पर राजकीय आवास संख्या ई-916, गांधीनगर, जयपुर का नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :-

शर्तः—

1. आवास का कब्जा आवंटन तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिथिल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और बसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय प्रेर जारी आदेशों के अनुसार बसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आवास का आवंटन की तिथि से 8 दिवस में आवंटित आवास का कब्जा स्वीकार करने में असफल रहने की तरीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पाव्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी बूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का अम करायें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आन्तित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तों भी मान्य होगी।

राज्यपाल महोदया की अक्षा से,

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्भालीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक ख-1, विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

6. अधिकारी अभियन्ता, सांनिधियो/जन स्वास्थ्योविभाग/जयपुर विभागिनिगम लिंग, गांधीनगर, जयपुर।
7. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
8. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चर्चा करावें।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अधिध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
12. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. श्री महेन्द्र शर्मा, सहायक अनुभागाधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
15. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
16. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
17. प्रबन्धक, सर्किट हाउस, जयपुर।
18. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
19. रक्षित पत्रावली।

मु. ३५१
 (मुलाल शर्मा) ०८/०८/१५
 शासन सहायक सचिव